रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 75 Registered No. D-(D)/75

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. ... JAN 1976 GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20, 1975 (अग्रहायण 29, 1897)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 1975 (AGRAHAYANA 29, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	871
भाग I—खंड 2 (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1961
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1651
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3479
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	4305
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	527
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	10789
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	873
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2299
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	221

371 GI/75

CONTENTS

	P
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	871
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1961
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1651
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3479
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	4305
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	537
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	10789
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	873
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2299
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .	221

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इलैक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक दिसम्बर 1975

सं० 2 (4)/75-प्रशासन-I—इलैक्ट्रॉनिकी आयोग, भारत सरकार की स्वीकृति से इलैक्ट्रॉनिकी आयोग एवं इलैक्ट्रॉनिकी विभाग में वर्ग 'क' एवं 'ख' (राजपत्रित) के वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों की डाक्टरी जांच का प्रबन्ध करने के उद्देश्य से, 4 सितम्बर, 1975 से एक पृथक् शारीरिक स्वस्थता विनियमावली जारी की गयी है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है :—

"इलैक्ट्रॉनिकी आयोग एवं इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के अधीन श्रेणी 1 व 2 (राजपत्रित) के वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों की शारीरिक स्वस्थता के सम्बन्ध में विनियमावली।

(शारीरिक स्वस्थता विनियमावली)

इस निर्धारित विनियमावली के बावजूद यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि इलैक्ट्रॉनिकी आयोग के अध्यक्ष एवं इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव को इस बात का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है कि वे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिस उम्मीदवार को शारीरिक रूप से अस्वस्थ समझें, उसे अनुपयुक्त मान कर उसकी नियुक्ति रद्द कर दें तथा उनका यह विवेकाधिकार किसी भी दशा में इन विनियमों से परिसीमित नहीं है।

1. यह विनियमावली इलैक्ट्रॉनिकी विभाग तथा इलैक्ट्रॉनिकी आयोग के सूचना, आयोजना एवं विश्लेषण दल के श्रेणी 1 व 2 (राजपत्रित) के वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों पर भर्ती किए जाने वाले सभी उम्मीदवारों पर लागू होगी।

2. किसी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए केवल तभी उपयुक्त माना जाएगा जब वह मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टि से स्वस्थ हो और ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो जो उसकी नौकरी के कर्तव्यों के कुशल निष्पादन में बाधक हो।

3. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए आयोग्य समझा जाए जो ऐसे संक्रामक रोगों से ग्रस्त हों जिनके बारे में यह संभावना हो कि इनका प्रकोप उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों में भी हो सकता है।

4. वर्णान्धता, कमजोर नजर जिसे चश्मा लगाकर ठीक किया जा सकता हो, जैसी अशक्तताएं, पोलियो से प्रभावित टांग की विरूपता अथवा ऐसी अन्य अशक्तताएं जो इलैक्ट्रॉनिकी आयोग के अध्यक्ष एवं इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव की राय में कर्तव्यों के कुशल निष्पादन के मार्ग में बाधक न हों, इलैक्ट्रॉनिकी आयोग/इलैक्ट्रॉनिकी विभाग में नियुक्ति के लिए बाधक नहीं समझी जानी चाहिए।

5. किन्तु क्रम सं० (4) में उल्लिखित ऐसी अशक्तताओं की सामान्य जानकारी उस अधिकारी को अवश्य दे दी जाए जिसके अधीन उम्मीदवार के कार्य करने की संभावना हो।

6. उम्मीदवारों की आयु, कद और उनके वक्ष की चौड़ाई में आपस में क्या तालमेल हो, इसके विषय में यह चिकित्सा प्राधिकारी पर ही छोड़ दिया गया है कि वे उम्मीदवारों की परीक्षा करते समय निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में जिन आकड़ों को अधिक संतुलित समझें, उन्हीं का प्रयोग करें।

7. यदि उम्मीदवार इन संतुलित आंकड़ों के रूप में अंगीकृत मापदण्डों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता किन्तु वह अन्यथा रूप से स्वस्थ है, तो उसे सेवा के लिए अनुपयुक्त नहीं समझा जाएगा।

8. उम्मीदवार का कद तथा उसके वक्ष की चौड़ाई सेंटीमीटरों में मापी जाए तथा उसका भार किलोग्राम में रिकार्ड किया जाए।

9. ऐनक बगैर आंख की न्यूनतम दृष्टि-सीमा निर्धारित नहीं की गई है किन्तु हर मामले में चिकित्सा प्राधिकारी उम्मीदवारों की इस दृष्टि-सीमा को रिकार्ड करेंगे, क्योंकि इससे आंखों की स्थिति के विषय में मूलभूत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

10. सामान्यतः 20 वर्ष से ऊपर की आयु के उम्मीदवारों के विषय में समग्र निकट दृष्टिता (मायोपिया) (−) 8.00 डी० से अधिक तथा समग्र दूरदृष्टिता (+) 6.00 डी० से अधिक नहीं होनी चाहिए और 20 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवारों के विषय में समग्र निकटदृष्टिता (—) 6.00 डी० से ऊपर तथा समग्र दूरदृष्टिता (+) 6.00 डी० के ऊपर नहीं होनी चाहिए।

11. जहां कहीं सम्भव हो, बुध्न (फण्डस) की भी परीक्षा की जाए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जायें । ऐसी परीक्षा करने की आवश्यकता है या नहीं, यह बात मेडिकल बोर्ड के विवेक पर छोड़ दी गई है ।

12. चिकित्सा प्राधिकारी की राय में जहां कहीं आवश्यक हो, रंग-दृष्टि और दृष्टि-क्षेत्र की परीक्षा भी की जाए ।

13. सामान्य अधिकतम प्रकुंचन दाब की संगणना करने की स्थूल विधि इस प्रकार है :

(1) 15-25 वर्षों के बीच की आयु के व्यक्तियों के लिए इसका औसत है लगभग 100 (+) आयु ।

(2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए यह औसत है लगभग 110 (+) आयु ।

14. पारे का 140 मिमी० से ऊपर का प्रकुंचन रक्त दाब प्रदर्शित करना तथा 90 मिमी० से ऊपर का अनुशिथिलन प्रदर्शित करना सन्देहास्पद समझा जाना चाहिए । उम्मीदवार के उपयुक्त होने अथवा न होने का अन्तिम निर्णय मैडिकल बोर्ड करेगा । मैडिकल बोर्ड द्वारा यह निर्णय इलैक्ट्रॉनिकी आयोग के अध्यक्ष एवं इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव से मन्त्रणा करने के बाद ही लिया जाएगा । इस सम्बन्ध में मैडिकल बोर्ड तथा इलैक्ट्रानिकी आयोग के अध्यक्ष एवं इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव के बीच मतभेद होने की अवस्था में अन्तिम निर्णय इलैक्ट्रॉनिकी आयोग के अध्यक्ष एवं इलैक्ट्रानिकी विभाग के सचिव का होगा ।

15. (मूत्र-परीक्षक की उपस्थिति में किए गए) मूत्र की डाक्टरी परीक्षा की जाए तथा जांच का परिणाम रिकार्ड कर लिया जाए । मूत्र में शर्करामेह (ग्लाइकोसूरिया) की मौजूदगी मात्र से ही उम्मीदवार को अयोग्य न समझा जाए जब तक कि अनियंत्रित मधुमेह (डायबिटीज) के फलस्वरूप उम्मीदवार में कायिक एवं ह्रासोन्मुख परिवर्तनों के लक्षण/चिह्न न दिखाई दें ।

16. यदि उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा करने पर कोई कायिक रोग होने का सन्देह हो, तो मैडिकल बोर्ड उसका निदान ढूंढने के लिए उम्मीदवार की यथोचित जांच-पड़ताल करेगा ।

17. उम्मीदवार की शारीरिक स्वस्थता से सम्बन्धित सभी मामलों में मैडिकल बोर्ड की राय अन्तिम होगी । किन्तु, यदि इलैक्ट्रॉनिकी आयोग के अध्यक्ष तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव के समक्ष पेश किए गए प्रमाण से उनका यह समाधान हो जाए कि उम्मीदवार की डाक्टरी जांच करने वाले मैडिकल बोर्ड के निर्णय में त्रुटि की सम्भावना है, तो उन्हें उम्मीदवार को नए मैडिकल बोर्ड के सम्मुख भेजने की छूट होगी ।

18. मैडिकल बोर्ड का गठन इलैक्ट्रॉनिकी आयोग के अध्यक्ष एवं इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव करेंगे तथा यदि मैडिकल प्राधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षा करने के लिए कोई शुल्क अर्थात् परीक्षा का प्रभार आदि दिया जाना है, तो इसका, निश्चय भी वे ही करेंगे । इस विषय में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।"

मनीन्द्र नाथ भट्टाचार्य, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 1975

सं० जेड० 28017/3/74-एम० पी० टी०—राष्ट्रपति, 30 सितम्बर, 1974 से "उपचर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली" का नाम बदलकर "राज कुमारी अमृत कौर उपचर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली" नाम रखने का आदेश देते हैं ।

विवेक कुमार अग्निहोत्री, अवर सचिव

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय
(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 अक्तूबर, 1975

संकल्प

सं० 8 (41)/75-पुनर्वास-II—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों को विभिन्न परियोजनाओं, पुनर्वास कालोनियों तथा मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बसाने, परियोजना तथा अन्य क्षेत्रों में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले गावों को सामान्य जिला प्रशासन के साथ मिलाने तथा केन्द्रीय शिविरों और कार्यस्थल शिविरों तथा मध्य प्रदेश में स्थित राज्य कार्य स्थल शिविरों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्य तथा केन्द्रीय अधिकारियों के कार्य कलापों को समन्वित करने की योजना के प्रभावी, मितव्ययी तथा शीघ्र निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार एक निदेशन समिति स्थापित करने के लिए सहमत है ।

2. निदेशन समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	अध्यक्ष
2. पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) में पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास कार्य को कर रहे भारत सरकार के संयुक्त सचिव	सदस्य
3. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (श्र० एव पु०) या उनका मनोनीत	सदस्य
4. प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, भोपाल	सदस्य
5. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग, भोपाल	सदस्य

6. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, वन विभाग	सदस्य
7. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	सदस्य
8. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, गृह विभाग	सदस्य
9. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, सिंचाई विभाग	सदस्य
10. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग	सदस्य
11. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, चिकित्सा विभाग	सदस्य
12. पुनर्वास आयुक्त एवं सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, पुनर्वास विभाग	सदस्य-सचिव

विभिन्न परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिए वे अधिकारी होंगे जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा।

3. **समिति की शक्तियां तथा कार्य** :—समिति मध्य प्रदेश में विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों और श्रीलंका/बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास की प्रगति पर सामान्य निगरानी रखने का कार्य करेगी तथा निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करेगी:—

(i) 5 लाख रुपए तक या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सीमा तक व्यय की विशिष्ट मद के लिए वित्तीय स्वीकृति देना। इस सम्बन्ध में आवश्यक वित्तीय आदेश मध्य प्रदेश सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा दिए जायेंगे।

बशर्ते कि :—

(1) 5 लाख रुपए से अधिक व्यय वाली योजनाओं की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा; और

(2) किसी भी वित्तीय वर्ष में व्यय उस वर्ष के लिए बजट में की गई व्यवस्था से अधिक नहीं होगा।

(ii) ऐसे पदों को बनाना तथा उन पर ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त करना जिन्हें इसके कार्य को दक्षता से निष्पादित करने के लिए आवश्यक समझा जाए, बशर्ते, फिर भी, किसी भी ऐसे पद को ऐसे वेतनमान में बिना मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के नहीं भरा जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 1,000/- रु० प्रति माह से अधिक हो या जो 1,000/- रु० प्रति माह से अधिक निश्चित वेतन वाला हो।

(iii) सभी मशीनरियों, औजारों तथा संयंत्र, उपकरण तथा वाहनों को सीधे क्रय करने का अधिकार परन्तु यदि किसी मद के लिए भारत सरकार के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय या मध्य प्रदेश सरकार के भण्डार क्रय अधिकारी ने दरों में कोई ठेका किया हो तो समिति उन ठेकों का लाभ उठाएगी और ऐसे ठेकों के लिए सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को सीधे मांग अधिकारियों के रूप में समझा जाएगा।

(iv) समिति शिविरों में कानून तथा व्यवस्था के पहलू के बारे में सामान्य देख-रेख भी करेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार परिवारों को समय पर भेजने तथा कुशल प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए शिविरों में कानून और शांति की व्यवस्था कायम रखने के लिए समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी करेगी।

4. निदेशन समिति संघीय संगठित संस्था होने के कारण जनता से उसका कोई सीधा सम्पर्क नहीं होगा। सभी ठेकों, करारों, आदेशों आदि पर जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी/परियोजना अधिकारी या इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे।

5. जब कभी आवश्यक समझा जाएगा केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निदेशन समिति को अतिरिक्त शक्तियां सौंपी जायेंगी।

6. निदेशन समिति, कार्यकारी संस्था न होने के कारण, केवल सलाहकार संस्था होगी। फिर भी, एक परिपाटी स्थापित की जाए कि समिति के निर्णयों को सामान्यतया केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुसमर्थन किया जाए। राज्य सरकार द्वारा दी गई शक्तियों की शर्तों के अनुसार जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी/परियोजना अधिकारी या निदेशन समिति के अध्यक्ष समिति के निर्णयों को बिना राज्य सरकार के पास भेजे कार्यान्वित करेंगे।

7. निदेशन समिति एक मत तथा सर्वसम्मति के आधार पर कार्य करेगी। फिर भी, यदि, कोई सदस्य अपनी असहमति पर दृढ़ रहेगा तो सम्बन्धित सदस्यों द्वारा अपनी सरकारों से निदेश लेने के पश्चात् मामले पर आगे विचार किया जाना चाहिए। यदि इसके बाद भी सदस्यों की राय में मतभेद हो तो मामले को अनुदेशों के लिए भारत सरकार के पास भेजा जाएगा।

8. सामान्यतया निदेशन समिति की हर तीन महीने में एक बार बैठक हुआ करेगी और उसके लिए स्थान भोपाल, मध्य प्रदेश या नई दिल्ली होंगे।

समिति की बैठक के लिए किन्हीं चार सदस्यों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा बशर्ते बैठक में दोनों सरकारों के दो दो प्रतिनिधि उपस्थित हों।

9. निदेशन समिति केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार से समय-समय पर प्राप्त अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगी। प्रशासनिक रूप में निदेशन समिति का प्रभार मध्य प्रदेश सरकार का होगा।

10. निदेशन समिति का मुख्यालय भोपाल या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाए गए किसी अन्य स्थान पर होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां निम्नलिखित को भेज दी जायें :—

(i) सभी राज्य सरकारें तथा मुख्य आयुक्त ।

(ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालय, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मंत्रीमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री का सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, सभी महालेखापाल तथा नियन्त्रक, मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी, पुनर्वास, नई दिल्ली, रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), महानिदेशक सम्भरण तथा निपटान ।

(iii) सभी सदस्य ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

एस० ए० एस० कादिरी, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi-110011, the December 1975

No. 2(4)/75-Adm.I.—With the approval of Electronics Commission, Government of India, separate Medical Fitness Regulations as appended hereto have been promulgated with effect from September 4, 1975 for conducting medical examination of candidates selected for admission to scientific and technical posts in Groups A & B (Gazetted) in Electronics Commisison and Department of Electronics:

"Regulations regarding Physical Fitness of candidates selected for appointment to Scientific and Technical posts Class I & II (Gazetted) under Electronics Commission and Department of Electronics.

(MEDICAL FITNESS REGULATIONS)

Notwithstanding the regulations laid down, it must be clearly understood that the Chairman, Electronics Commission and Secretary, Department of Electronics reserves to himself an absolute discretion to reject as unfit any candidate whom he may consider, on the report of the Medical Board to be physically disqualified and that his discretion is in no respect limited by these regulations.

1. These regulations apply to all candidates for admission into Scientific and Technical posts Class I and II (Gazetted) in Department of Electronics and Information, Planning & Analysis Group of Electronics Commission.

2. To be passed as fit for appointment, a candidate must be in good mental and bodily health and free from physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

3. Only those candidates suffering from infectious diseases which they are likely to communicate to those with whom they may have to work should be disqualified from appointment.

4. Disabilities such as colour blindness, poor sight which can be corrected by wearing glasses, deformity of the leg caused by poliomylitis or such other disabilities as in the opinion of the Chairman, Electronics Commission and Secretary, Department of Electronics, do not come in the way of efficient discharge of duties, should not operate as a bar to appointment under the Electronics Commission/Department of Electronics.

5. Such disabilities set out in (4) should however be communicated to the Officer under whom the candidate is likely to be appointed, for general information.

6. In the matter of the correlation of the age, height and chest girth of candidates, it is left to the Medical Authority to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates.

7. Failure to satisfy the adopted standard of correlation figures, shall not render the candidate unfit if he is found to be otherwise healthy.

8. The height of the candidate and the chest measurements shall be recorded in centimeters and the weight in kilograms.

9. There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Authority in every case, as it will provide the basic information in regard to the condition of the eye.

10. In general, the total amount of Myopia shall not exceed —8.00D and total hypermetropia shall not exceed +6.00D in the case of candidates above the age of 20 years and —6.00D and +6.00 in the case of those upto the age of 20 years.

11. Wherever possible fundus examination should be carried out and results recorded. The necessity for carrying out such examination is left to the discretion of the Medical Board.

12. Colour vision and field vision shall be performed where necessary, in the opinion of the Medical Authority.

13. An approximate method of computing normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) Subjects between 15-25 years the average is about 100 plus the age.

(ii) Subjects over 25 years the average is about 110 plus the age.

14. A systolic blood pressure over 140mm of mercury and a diastolic over 90 mm of mercury should be regarded as suspicious. The final decision as to the fitness or otherwise of the candidate will, however, rest with the Medical Board only, who will take a decision after consulting the Chairman, Electronics Commission and Secretary, Department of Electronics. In the event of any difference of opinion between the Medical Board and the Chairman, Electronics Commission and Secretary, Department of Electronics the final decision shall rest with the Chairman, Electronics Commission and Secretary, Department of Electronics.

15. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. The finding of glycosuria *per se* may not be considered as a disqualification unless the candidate presents symptoms and signs of organic and degenerative changes as a consequences of uncontrolled diabetes.

16. Where an organic disease is suspected on physical examination, the Medical Board shall undertake to perform such investigations on the candidate as may be necessary, to establish the diagnosis.

17. The opinion of the Medical Board shall be final in all matters relating to the physical fitness of the candidate. However, if the Chairman, Electronics Commission and Secretary, Department of Electronics is satisfied on the evidence produced before him of the possibility of an error of judgment in the decision of the Medical Board which carried out the medical examination, it will be open to him to refer the candidate to a new Medical Board.

18. The Medical Board will be constituted by the Chairman, Electronics Commission and Secretary, Department of Electronics and scale of fee i.e. charges for test etc., if any, to be paid to such an authority for undertaking medical examination is to be settled by him. Orders in this regard will issue separately."

M. N. BHATTACHARYA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 3rd December 1975

No. Z.28017/3/74-MPT.—The President is pleased to order that the name of the College of Nursing, New Delhi has been changed to "Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi" with effect from the 30th September, 1974.

V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(DEPARTMENT OF REHABILITATION)

New Delhi-11, the 6th October 1975

RESOLUTION

No. 8(41)/75-RH.II.—For the effective, economical and expeditious execution of the scheme to resettle migrants from former East Pakistan in the various Projects, rehabilitation colonies and in other areas in Madhya Pradesh, for integrating the villages set up/to be set up in the Project and other areas with the normal district administration, and for coordinating the activities of the State and central authorities in connection with the administration of the Central Camps and work-site camps and State work-site camps situated in Madhya Pradesh, the Central Government and the Government of Madhya Pradesh agree to set up a Committee of Direction.

2. The composition of the Committee of Direction shall be as follows :—

1. Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh, BHOPAL. —Chairman
2. Joint Secretary to the Government of India Ministry of Supply & Rehabilitation (Deptt. of Rehabilitation) dealing with resettlement of East Pakistan migrants. —Member
3. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (I&R) or his nominee. —Member
4. Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Finance Department, BHOPAL. —Member
5. Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, BHOPAL —Member
6. Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Department of Forest —Member
7. Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Industries and Commerce Department —Member
8. Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Home Department —Member
9. Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Irrigation Department. —Member
10. Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Education Department. —Member
11. Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Medical Department. —Member
12. Rehabilitation Commissioner & Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Rehabilitation Department. —Member-Secretary

Officer(s) for the various Project(s) and Schemes would be such officer(s) as may be declared by the Government of Madhya Pradesh.

3. *Powers and functions of the Committee.*—The Committee will exercise general supervision over the execution of the various Rehabilitation Schemes and Progress for the resettlement of migrants from former East Pakistan and repatriates from Sri Lanka/Burma in Madhya Pradesh and shall enjoy the following powers :—

(i) To give financial sanction to specific items of expenditure upto Rs. 5 lakhs or upto such limits as may be authorised by the Central Government from time to time. Necessary financial orders in this regard will be issued by the competent authority in the Government of Madhya Pradesh.

Provided that : —

(1) Schemes involving expenditure in excess of Rs. 5 lakhs shall be referred to the Central Government for approval; and

(2) expenditure in any financial year does not exceed the total budget provision for the year.

(ii) To create such posts and to appoint such officers and staff thereto as it considers necessary for the efficient performance of its functions, provided, however, that no post shall be created on a scale of pay, the maximum of which exceeds Rs. 1,000/- a month or on a fixed pay exceeding Rs. 1,000/- a month without the prior approval of the Government of Madhya Pradesh.

(iii) To authorise direct purchase of all machinery, tools and plans, equipment and vehicles, provided that where the Directorate General of Supplies and Disposals, Government of India, or the Stores Purchase Officer of the Government of Madhya Pradesh have entered into rate-contracts for any item, the Committee shall take advantage of those contracts and the respective Project Officers will be treated as Direct Demanding Officers for the purpose of those contracts.

(iv) The Committee will also exercise general supervision over the law and order aspect in the camps, and issue such directions as may be necessary from time to time to maintain peace and law and order in the camps to ensure timely dispersal of families and its efficient management according to instructions issued by the Central Government.

4. The Committee of Direction being an unincorporated body will have no direct dealing with the members of the public. All contracts, agreements, orders, etc. shall be signed by the District Relief and Rehabilitation Officer, Project Officer or such other officer(s) as may be authorised in this behalf by the Government of Madhya Pradesh.

5. The Central Government and the Government of Madhya Pradesh may delegate to the Committee of Direction additional powers as and when considered necessary.

6 The Committee of Direction, not being an executive body, will be only an advisory body. However, a convention may be established that the decisions of the Committee should be ordinarily ratified by the Central and State Governments. In terms of the powers delegated by the State Government, the District Relief and Rehabilitation Officer/Project Officer or the Chairman of the Committee of Direction, will implement the decisions of the Committee without further reference to the State Government.

7. The Committee of Direction shall function on the basis of consensus or unanimity. If, however, any of the Members holds strong dissenting views, the matter in question should be considered further after the Member concerned have obtained the instructions of their respective Governments. In case there is still a difference of opinion among the Members, the matter shall be referred to the Government of India for instructions.

8. The Committee of Direction shall ordinally meet once one in every three months and the venue may be Bhopal, Madhya Pradesh or New Delhi.

Any four Members present shall form a quorum at a meeting of the Committee, provided that at least two representatives of each of the two Government are present at the meeting.

9. The Committee of Direction will function in accordance with such directions as it may, from time to time receive from the Central Government and from the Government of Madhya Pradesh. The Government of Madhya Pradesh will be administratively in charge of the Committee of Direction.

10. The Headquarters of the Committee of Direction will be at Bhopal or some other place as declared so by the Government of Madhya Pradesh.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

(i) All State Governments and all Chief Commissioners.

(ii) All Ministries of the Government of India, the Planning Commission, the Union Public Service Commission, the Cabinet Secretariat Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, All Accountants Generals and Comptrollers, Chief Pay and Accounts Officer, Rehabilitation, New Delhi, Railway Ministry (Railway Board), Director General of Supplies and Disposal.

(iii) All Members.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. A. S. QADIRI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975